



Neutral Citation-2026:AHC:33027

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-6004/2026

हलीमा खातून

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय तिवारी

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1.वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, खड़डा को निर्देश देना है, जिला कुशी नगर, उत्तर प्रदेश की धारा 35(2) के अंतर्गत मामल संख्या 15652023 कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202305440501565 (जलेखा बनाम हलीमा खातून) की कार्यवाही को समाप्त करने और निर्णय लेने के लिए राजस्व संहिता, 2006, निर्धारित अवधि के भीतर

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को भी सुना

3. आज पारित किये जाने वाले प्रस्तावित आदेश को दृष्टि में रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रतिवादी संख्या 100 को निर्देश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। अर्थात् उप संभागीय मजिस्ट्रेट, खड़डा, जिला कुशी नगर को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपरोक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार सख्ती से करना होगा, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी 2026

स्वाति

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”